न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बारॉ (राज.)

पीठासीन अधिकारी श्री सुदर्शन सिंह तोमर (आर.ए.एस.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रकरण संख्या :– 53/2017

बउनवान

तुलसां पुत्री रधा उर्फ रूधा पत्नी रामनाथ आयु 70 वर्ष जाति मीना निवासी बरबटखेडी तहसील छबडा जिला बारॉ (राज.)

(अपीलांट)

बनाम

1– कल्याण पुत्र श्यामलाल जाति मीणा निवासी बालापुरा तहसील छबडा जिला बारॉ (राज.)
2– सुरेश पुत्र कल्याण जाति मीणा निवासी बालापुरा तहसील छबडा जिला बारॉ (राज.)
3– बबलू पुत्र कल्याण जाति मीणा निवासी बालापुरा तहसील छबडा जिला बारॉ (राज.)

(रेस्पोडेन्टगण)

अपील विरूद्ध तहसीलदार छबडा द्वारा प्रकरण संख्या 9/2016 मे पारित आदेश दिनांक 26.09.2017 अन्तर्गत धारा 183 (बी) आर.टी.एक्ट

उपस्थित :– 1– श्री मदन लाल गालव अभिभाषक **(अपीलांट)**
2– श्री नरेन्द्र सोमानी अभिभाषक **(रेस्पोडेन्टगण)**

निर्णय दिनांक 28.06.2019

अपीलांट द्वारा जर्ये अभिभाषक अपील इस न्यायालय मे विरूद्व रेस्पोडेन्टगण के प्रस्तुत की गई। जिसके संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार छबडा द्वारा अन्तर्गत धारा 183 (बी) आर.टी.एक्ट के तहत प्रकरण संख्या 9/2016 मे पारित निर्णय दिनांक 26.09.2017 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है।

इस पर प्रस्तुत अपील को दिनांक 23.10.2017 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, अधीनस्थ न्यायालय से मूल पत्रावली तलब की गई। रेस्पोडेन्ट को जर्ये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट क्रम 1 ता 3 जर्ये अभिभाषक उपस्थित रहे है। अधीनस्थ न्यायालय से मूल पत्रावली प्राप्त होने पर बहस उभयपक्ष की सुनी गई।

अपीलांट के अभिभाषक द्वारा दौराने बहस प्रस्तुत अपील के तथ्यों को दौहराते हुये कथन किया कि अपीलांट की ओर से रेस्पोडेन्ट के विरूद्व एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183 (बी) आर.टी.एक्ट मे पेश कर ग्राम बालापुरा तहसील छबडा की आराजी खाता संख्या 65 की खसरा नम्बर 59 रकबा 6 बीघा 5 बिस्वा खसरा नम्बर 111 रकबा 4 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 112 रकबा 4 बीघा 1 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 15 बीघा 5 बिस्वा भूमि है, जो कि अपीलांट के सहखातेदारी मे दर्ज है। रेस्पोडेन्ट से अपीलांट को कब्जा दिलाने की प्रार्थना की थी। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के प्रार्थना पत्र को अस्वीकार कर कार्यवाही ड्रोप करने के आदेश पारित किया गया है। जिसके विरूद्व अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुत की जा रही है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निम्न कारणो से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्तनीय है।

अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नही किया कि वादग्रस्त सम्पूर्ण आराजियात मे अपीलांट सहखातेदार है इस कारण वादग्रस्त आराजी के प्रत्येक हिस्से पर वह स्वामिनी है इस कारण उसे वाद बेदखली लाने का पूर्ण अधिकार है, इसके लिये पहले खाते का विभाजन कराकर पृथक कब्जा प्राप्त करने एवं उसके उपरांत वाद लाने का अधीनस्थ न्यायालय का विनिश्चय एवं उसके आधार पर पारित निर्णय विधि विरूद्व है एवं निरस्तनीय है।

यह कि वादग्रस्त आराजी मे अपीलांट सहखातेदार है तथा रेस्पोडेन्टस अतिक्रमी है जिसके विरूद्व सहखातेदारान मे से कोई भी व्यक्ति वाद लाने के लिए सक्षम है तथा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र विधि सम्मत है उसे रेस्पोडेन्टस को वादग्रस्त आराजियात से बेदखल कराकर कब्जा प्राप्त करने का अधिकार है इसके विपरीत अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित करने मे भूल की है, जो निरस्तनीय है।

यह कि अधीनस्थ न्यायालय ने तथ्यों की जांच किये बिना व बिना साक्ष्य की सही विवेचना के विधि विरूद्व निर्णय पारित किया है जो निरस्तनीय है। अपीलांट को अन्य प्रक्रियाओ मे उलझाकर रखने एवं तब तक रेस्पोडेन्ट को अपीलांट की भूमि पर अतिक्रमी बने रहने का कोई अधिकार नही है अन्यथा अपीलांट को भारी आर्थिक नुकसान होगा एवं अपूर्णीय क्षति होगी तथा रेस्पोडेन्ट बिना विधिक अधिकार के जबरन वादग्रस्त आराजी का उपयोग करते रहेगे। जिसका उन्हे कोई अधिकार प्राप्त नही है। न्यायालय श्रीमान को अपील की सुनवाई एवं श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार प्राप्त है। अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार छबडा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.9.2017 प्रकरण संख्या 9/2016 बउनवान तुलसां बनाम कल्याण वगै. को निरस्त फरमाया जावे एवं वाके माल बालापुरा तहसील छबडा जिला बारॉ की खाता संख्या 65 की आराजियात खसरा नम्बर 59 रकबा 6 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 111 रकबा 4 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 112 रकबा 4 बीघा 1 बिस्वा के सम्पूर्ण हर भा से बेदखल कर कब्जा अपीलांट को दिलाया जावे। वाद व्यय व अन्य न्यायोचित सहायता जो न्यायालय श्रीमान उचित समझे अपीलांट को दिलाई जावे।

इसके विपरीत रेस्पोडेन्ट क्रम 1 ता 3 के अभिभाषक द्वारा कहा गया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार छबडा द्वारा प्रकरण संख्या 9/2016 बउनवान तुलसा बाई वगै. बनाम कल्याण वगै. मे पारित निर्णय दिनांक 26.09.2017 अन्तर्गत धारा 183 (बी) आर. टी.एक्ट के विधिक प्रावधानो के अन्तर्गत पारित किया गया है। जिसमे किसी भी प्रकार की विधिक त्रुटि नही की गई है। रेस्पोडेन्टगण द्वारा सहखातेदारी की समस्त भूमि अपीलांट के 1/10 हिस्से को छोडकर जर्ये इकरारनामा काफी वर्ष पूर्व क्रय की जा चुकी है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज फरमाई जावे।

हमने प्रकरण मे उभयपक्ष के अभिभाषकगण की बहस सुनी। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार छबडा द्वारा अन्तर्गत धारा 183 (बी) आर.टी.एक्ट के तहत प्रकरण संख्या 9/2016 मे पारित निर्णय दिनांक 26.09.2017 एवं सम्पूर्ण अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया जाकर, मनन किया गया है। जिससे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे संलग्न छायाप्रति जमाबन्दी मे रेस्पोडेन्टगण का नाम भी अंकित नही है, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के प्रार्थना पत्र मे इस आधार पर कार्यवाही ड्रोप की गई है कि जब तक संयुक्त खातेदार अलग खाते नही करवा लेते है। तब तक आ.टी.ए की धारा 183 (बी) के अन्तर्गत किसी खसरा नम्बर विशेष की बेदखली की कार्यवाही नही की जा सकती। वादग्रस्त सम्पूर्ण आराजियात मे अपीलांट सहखातेदार है इस कारण वादग्रस्त आराजी के प्रत्येक हिस्से पर वह स्वामिनी है।

अतः परिणाम स्वरूप अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार छबडा द्वारा अन्तर्गत धारा 183 (बी) आर.टी.एक्ट के तहत प्रकरण संख्या 9/2016 बउनवान तुलसां बनाम कल्याण वगै. मे पारित निर्णय दिनांक 26.09.2017 निरस्त किया जाता है। प्रकरण इस निर्देश के साथ तहसीलदार छबडा को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि पक्षकारान की नियमानुसार सुनवाई की जाकर विधी सम्मत निर्णय पारित किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 28.06.2019 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर, सरे इजलास सुनाया गया।

(सुदर्शन सिंह तोमर)
अति0 जिला कलक्टर, बारां